मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5064
03.04.2023 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना

5064. श्री कृपाल बालाजी तुमाने :
श्रीमती भावना गवली (पाटील) :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के उद्देश्य क्या हैं और उक्त योजना को कितने भागों में विभाजित किया गया है;
(ख) क्या उक्त योजना से समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान से बचाए जाने की संभावना है;
(ग) यदि हां, तो महाराष्ट्र में जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई है;
(घ) क्या सरकार ने कोयले सहित गैर-नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों की आजीविका पर शून्य-उत्सर्जन लक्ष्य की दिशा में उठाए गए कदमों के प्रभावों पर विचार किया है; और
(ड.) क्या सरकार ने राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में कार्बन उत्सर्जन को शामिल करने के लिए उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख) जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य-योजना (एनएपीसीसी) में सौर ऊर्जा, ऊर्जा की बचत में वृद्धि, संधारणीय पर्यावास, जल, हिमालयी पारि-तंत्र के संधारण, हरित भारत, संधारणीय कृषि, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु कार्यनीतिक जानकारी के विशिष्ट क्षेत्रों में संचालित मिशन शामिल हैं। ये विशिष्ट क्षेत्र भारत के विकास तथा जलवायु परिवर्तन से संबंधित अनुकूलन एवं उपशमन के उद्देश्यों को साथ-साथ आगे बढ़ाने हेतु उठाए जाने वाले कदमों को रेखांकित करते हुए जलवायु परिवर्तन से संबंधित मूल समस्याओं का समाधान करते हैं। एनएपीसीसी को इन सिद्धांतों के आधार पर कार्यान्वित किया जाता है - (i) एक समावेशी और संधारणीय विकास कार्यनीति के माध्यम से समाज के उन गरीब और कमजोर वर्गों को सुरक्षा मुहैया कराना जो जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हैं; (ii) पारिस्थितिकीय संधारणीयता के जरिए राष्ट्रीय विकास का लक्ष्य प्राप्त करना; (iii) उपभोक्ता के मांग पक्ष के प्रबंधन के लिए कुशल एवं कम लागत वाली कार्यनीतियां तैयार करना; (iv) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जनों के प्रति अनुकूलन और उसके उपशमन दोनों के

लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करना; (v) संधारणीय विकास को बढ़ावा देने हेतु बाजार, विनियामक और स्वैच्छिक तंत्रों के नए एवं नवाचारी रूप विकसित करना; (vi) सिविल सोसायटी और स्थानीय सरकारी संस्थाओं को शामिल करके तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को प्रभावी बनाना; और (vii) अनुसंधान, विकास, प्रौद्योगिकियों की साझेदारी एवं उनके अंतरण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग का स्वागत करना।

(ग) एनएपीसीसी के तहत अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुरूप, महाराष्ट्र सहित 34 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु राज्य कार्य-योजनाएं (एसएपीसीसी) पहले से ही कार्यान्वित हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी एसएपीसीसी में जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु अपने सेक्टर-विशेष के और भिन्न-भिन्न सेक्टरों के कार्यकलापों को निर्दिष्ट किया है। महाराष्ट्र के लिए तैयार की गई एसएपीसीसी में कृषि, जल, वानिकी, स्वास्थ्य, ऊर्जा, ग्रामीण विकास, शहरी विकास और आपदा प्रबंधन हेतु क्षेत्र-वार कार्य-योजनाएं शामिल हैं। इस राज्य ने अपनी मौजूदा एसएपीसीसी में संशोधन लाना भी शुरू किया है।

(घ) और (ड.) आगामी वर्षों में ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में, नवीकरणीय/गैर-जीवाश्म आधारित ऊर्जा में विस्तार के साथ-साथ, कोयला ऊर्जा उत्पादन का महत्वपूर्ण स्रोत बना रहेगा। एनएपीसीसी के राष्ट्रीय मिशनों के तहत, सरकार द्वारा कई कार्यकलाप, योजनाएं एवं कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। सौर ऊर्जा, ऊर्जा की बचत और वानिकी सेक्टर के क्षेत्रों में संचालित कार्यकलाप कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के कारण से जुड़े हुए हैं। अन्य मिशनों में भी सह-लाभ के रूप में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में सहयोग प्रदान किया जाता है।

*****